कार्यालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0– 08 /2020–21

धरमेन्द सिंह,
पिता– स्व0 दीनानासिंह
साकिन– असनाबाद

05.09.2020 धरमेन्द्र सिंह, पिता– स्व0 दीनानाथ सिंह, साकिन– असनाबाद, वार्ड नं0– 07, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन के माध्यम से बताया गया है कि उनकी भूमि यथा मौजा– असना, थाना नं0– 245 के गैरमजरूआ खाता सं0– 110, प्लॉट नं0– 2191, रकबा– 0.10 ए0 एवं रैयती खाता सं0– 98, प्लॉट नं0– 2189, रकबा– 0.03 ए0, कुल रकबा– 0.13 ए0 भूमि, जो केवाला द्वारा खरीदगी से प्राप्त है, की जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0– 150/07 पर उनके दादा, परसीद्ध नारायण सिंह, पिता– स्व0 राम संयोग सिंह के नाम से कायम है। लगान रसीद वर्ष 2011–12 तक निर्गत है। उक्त भूमि, रकबा– 0.13 ए0 में से रैयती खाता सं0– 98, प्लॉट नं0– 2189, रकबा– 0.03 ए0 भूमि NHAI द्वारा अधियाचित है, जिसका भू–अर्जन किया जा रहा है। जिला भू–अर्जन कार्यालय के द्वारा उक्त रैयती भूमि, रकबा– 0.03 ए0 भूमि की 'वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु निर्गत लगान रसीद' की मांग की गयी है, जोकि गैरजमरूआ भूमि व रैयती भूमि का सम्मिलात जमाबंदी होने के कारण निर्गत नही हो पा रही है। श्री सिंह के द्वारा उक्त रैयती खाते की भूमि, रकबा– 0.03 ए0 की जमाबंदी को उक्त कायम जमाबंदी, रकबा– 0.13 ए0 से अलग अनुरोध किया गया है, ताकि लगान रसीद निर्गत हो सके।

आवेदक, धरमेन्द्र सिंह के द्वारा अपने आवेदन के साथ निबंधित केवाला सं0– 18953 दिनांक 23.09.1975, सरकारी लगान रसीद सं0– 4692135 दिनांक 04.01.2011 आदि एवं ऑनलाइन पंजी II की प्रति को अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुए उक्त रैयती खाता सं0– 98, प्लॉट नं0– 2189, रकबा– 0.03 ए0 भूमि की जमाबंदी को अलग करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 20/10/2020 को उपस्थापित करें।

05/09/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

20.10.2020 अभिलेख उपस्थापित।

09.12.2020 हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच–प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। राजस्व कागजातों के जॉचोपरांत उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि – " आवेदक, धरमेन्द्र सिंह, पिता– स्व0 दीनानाथ सिंह, साकिन– असनाबाद, वार्ड नं0– 07, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा द्वारा अपना रैयती खाता सं0– 98, प्लॉट नं0– 2189, रकबा– 0.03 ए0 भूमि की जमाबंदी गैरमजरूआ खाता सं0– 110/269 से अलग करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र का आदेशानुसार जाँच किया। मौजा– असना, थाना नं0– 245 के खाता सं0– 110/231, प्लॉट नं0– 2191/2489, रकबा– 0.04 ए0; खाता सं0– 110/269, प्लॉट नं0–

Scanned with Cam

2191, रकबा– 0.06 ए0 एवं खाता सं0– 98, प्लॉट नं0– 2189, रकबा– 0.03 ए0; कुल रकबा– 0.13 ए0 भूमि की जमाबंदी ऑनलाइन पंजी II के पृष्ठ सं0– 150/7 पर श्री परसिद्ध नारायण सिंह, पिता– राम संयोग सिंह के नाम से दर्ज है। खाता सं0– 110 गैरमजरूआ खास एवं खाता सं0– 98 रैयती खाता है। लगान रसीद वर्ष 2011–12 तक निर्गत है। अतः मौजा– असना, थाना नं0– 245 के रैयती खाता सं0– 98, प्लॉट नं0– 2189, रकबा– 0.03 ए0 भूमि का अलग जमाबंदी कायम कर ऑनलाइन रसीद निर्गत किया जा सकता है।''

आवेदक से शपथ–पत्र की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ....15.../..01..../2021 को उपस्थापित करें।

08/12/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

15.01.2021 अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक उपस्थित हैं। उनके द्वारा शपथ–पत्र (शपथ–पत्र सं0 06 दिनांक 11.01.2021) दाखिल किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा– असना, थाना नं0– 245 के गैरमजरूआ खाता सं0– 110, प्लॉट नं0– 2191, रकबा– 0.10 ए0 एवं रैयती खाता सं0– 98, प्लॉट नं0– 2189, रकबा– 0.03 ए0, कुल रकबा– 0.13 ए0 भूमि की जमाबंदी मौजा– असना के पंजी II के पृष्ठ सं0– 150/07 पर उनके दादा, परसीद्ध नारायण सिंह, पिता– स्व0 राम संयोग सिंह के नाम से कायम है। खाता सं0– 110 गैरमजरूआ खास खाता एवं खाता सं0– 98 रैयती खाता है। आवेदक/दावेदार द्वारा रैयती खाता सं0– 98, प्लॉट नं0– 2189, रकबा– 0.03 ए0 भूमि का अलग जमाबंदी कायम कर ऑनलाइन रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं राजस्व उपनिरीक्षक/ अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा– असना के पंजी II के पृष्ठ सं0– 150/07 पर कायम जमाबंदी रैयती खाता सं0– 98, प्लॉट नं0– 2189, रकबा– 0.03 ए0 भूमि का मौजा– असना, थाना नं0– 245 के ऑनलाइन पंजी II के अलग पृष्ठ पर जमाबंदी कायम करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

अभिलेख में कार्रवाई ....बंद....... की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

15/01/2021
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

15/01/2021
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with Cam